UPAN010006692026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–170/2026

शाह मोहम्मद आयु लगभग 41 वर्ष पुत्र स्व0 वाहिद अली, निवासी ग्राम मंशापुर, थाना महरूआ जनपद अम्बेडकर नगर हालपता फतेहपुर पकड़ी इमामबाग अब्दुल्लापुर, थाना कोतवाली अकबरपुर,जनपद अम्बेडकर नगर।

————————आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ————————————————————अभियोजन पक्ष

25.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत आवेदक/अभियुक्त शाह मोहम्मद द्वारा मु0अ0सं0 395/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 336(3) व 340(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा आसमा बानों द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी, टाण्डा को इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी से अपने पति साबिर अली को बीजा बनवाने हेतु विदेश भेजने हेतु विपक्षी शाह मोहम्मद पुत्र वाहिद निवासी ग्राम बरामदपुर थाना महरूआ जनपद अम्बेडकर नगर व शेख आलम लखनऊ मां0नं0 9918342753 मुखालिक 2,00,000/– रुपये दिया गया था। विपक्षी चालाक किस्म का व्यक्ति है जो प्रार्थिनी से उक्त रुपये ले लिया और उसके पति को बाम्बे एयरपोर्ट पर ले गया और वहॉ पर हवाई जहाज पर सारा सामान रख दिया गया। जब पासपोर्ट की जॉच हुई तो उक्त वीजा फर्जी निकला और प्रार्थिनी के पति को उक्त एयरपोर्ट पर 10 घंटे बैठाया गया तथा काफी प्रयास के बाद एयरपोर्ट से छोड़ दिया गया। जब उसके पति ने घर आकर अपनी स्थिति बताया तब प्रार्थिनी हैरान परेशान होकर जरिये ऑनलाइन उक्त रुपया वापस करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया। विपक्षी प्रार्थिनी के पति को 13 महीना बेकार बैठाए रहा, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ। प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाए। वादिनी मुकदमा द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्र पर पुलिस क्षेत्राधिकारी, टाण्डा के आदेश पर

थाना कोतवाली टाण्डा में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 395/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 336(3) व 340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि वह निर्दोष है,उसे हैरान व परेशान करने के लिए रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई माकूल साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बढ़ाचढ़ा कर विलम्ब से लिखायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि प्रार्थी को कब–कब और कितना पैसा दिया गया। कथित घटना का कोई चश्मदीद एवं स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी के सगे पट्टीदार जो वादिनी के रिश्तेदार हैं, ने फर्जी वाक्या दिखाकर झूठा मुकदमा लिखाया है और पुलिस पर दबाव डालकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। प्रार्थी बसिलसिले रोजी–रोटी बाहर रहता है। स्थानीय पुलिस भी गिरफ्तारी के लिए बराबर दविश डाल रही है। वह अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अतः उसने स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की ओर से केसडायरी के प्रासंगिक पर्चे एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद अभियुक्त है, उसके विरुद्ध आरोप है कि उसने वादिनी मुकदमा के पति को विदेश भेजने के लिए उससे मु0–2,00,000/– रुपये प्राप्त किया और कतर देश के लिए वीजा नं0–382024520023 प्रदान किया जो दिनांक 18.11.2024 से दिनांक 23.02.2025 तक वैध था, किन्तु उक्त अवधि में वादिनी का पति विदेश नहीं जा सका और समय व्यतीत होने के बाद आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे दुबारा एक ई. वीजा नं0–202/2025/2133477 प्रदान किया गया जो दुबई के लिए है और दिनांक 22.06.2025 को जारी है तथा दिनांक 20.08.2025 तक वैध है। जब वादिनी का पति विदेश जाने के लिए बाम्बे एयरपोर्ट गया तो जॉच के दौरान इसी वीजा को फर्जी पाया गया है। यद्यपि कि विवेचक द्वारा अभी तक उक्त वीजा को दुबई एम्बेसी से सत्यापन नहीं कराया जा सका है। चूँकि उक्त वीजा जॉच के दौरान फर्जी पाए जाने के कारण वादिनी का पति बाम्बे एयरपोर्ट से वापस चला आया, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ और विपक्षी ने उसका रुपया भी वापस नहीं किया।

इस प्रकार प्रकरण में गम्भीर प्रकृति का अपराध प्रथम दृष्ट्या कारित किया जाना परिलक्षित होता है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। ऐसी दशा में यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह पाता हूॅ कि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शाह मोहम्मद द्वारा मु0अ0सं0 395/2025 धारा 316(2), 336(3) व 340(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–25.03.2026

(चंद्रोदय कुमार)
सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकर नगर
जे.ओ. कोड नं0–यू.पी.6553